

संपादकीय

हम किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात खेत पर रसायनों का अतिरिक्त उपयोग, नकली कीटनाशक तथा इनपुट सलाह के लिए दुकान सलाहकारों पर निर्भरता है। यह उपभोक्ताओं की चिंता भी है और प्राथमिकता पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत में यह अनिवार्य करना चाहिए कि दुकानदार वास्तविक समय में राज्य सरकार के सर्वर पर लॉग इन करके किसानों को बेचने या बेचने वाले प्रत्येक विक्रय को रिकॉर्ड करें। यह प्रस्तावित डेटा बैंक में एकत्रित और संसाधित किए जा रहे डेटा का एक हिस्सा होगा। खेती पर विस्तार कार्यकर्ताओं को समादर देने वाली सूचना प्रौद्योगिकी से ; प्रत्येक लेनदेन को रिकॉर्ड करना ; प्रशासन में सुधार ; सबसे अच्छा खेत विस्तार देना ; गैरकानूनी बिक्री रोकना ; गुणवत्ता की बिक्री सुनिश्चित करना ; फसल क्षति मुआवजा तंत्र के लिए ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करना होगा। कृषि इनपुट बिक्री में कानून को लागू करने और न्यून सहि-गुता करने की आवश्यकता है।

वित्तीय प्रोत्साहनों से स्थानीय खाद्य प्रसंस्कृत होना अनिवार्य नहीं है। केंद्र सरकार की खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए कई नीतियां हैं ; अच्छे इरादे पर्याप्त नहीं हैं, नीतियों को बदलने की जरूरत है। खाद्य पार्क जो स्थानीय भोजन की खरीद नहीं करते हैं या आयातित कन्सन्ट्रेट को प्रोसेस नहीं करते, कोई भी उद्देश्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं। खाद्य पार्कों के लिए 50 करोड़ की सब्सिडी आवश्यक रूप से स्थानीय किसानों के उत्पाद की बढ़ती प्रसंस्करण का परिणाम नहीं है। आयातित कन्सन्ट्रेट के प्रसंस्करण या पुनः गठन को किसानों के लिए मूल्य वृद्धि नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह भारतीय किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।

इसी तरह एफडीआई में एमबीआर अच्छा है, लेकिन अंतर यही है कि क्या संसाधित किया जा रहा है। नीति की सफलता या असफलता को यह परिभाषित करेगा कि भारतीय या आयातित भोजन कितना होगा। ऐसो आउटलेट में बेचे जाने वाले 75 प्रतिशत उत्पाद का भाग मूल रूप से भारतीय तथा वनज और मूल्य के हिसाब से अलग-अलग होना चाहिए, नहीं तो यह विदेशी फसल उत्पादन के लिए एक पाइपलाइन का काम करेगा।

वित्तीय प्रोत्साहनों को छोटे ग्रामीण उद्यमों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, न केवल हमें उन्हें लगातार विकसित करने की आवश्यकता है, बल्कि जीएसटी के युग में जहां कराधान समान है, बड़े व्यापार निगम कुछ करोड़ के लाभों के लिए नहीं आएंगे - उन्हें गुणवत्ता, आश्वासन की आपूर्ति, नीतियों की स्थिरता, कर व्यवस्था और सुशासन तथा अच्छे बुनियादी ढांचे आदि की जरूरत है।

कृनि और भारतीय अर्थतंत्र में इसका महत्व

कृनि के महत्व पर जितना कहा जाए कम ही होगा। हालांकि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृनि की हिस्सेदारी में गिरावट आती गई है तथापि कृनि और वानिकी (फॉरेस्ट्री) एवं मछुआगिरी (फिशिंग) (परन्तु खनन और उत्खनन को छोड़कर) जैसे कृनि से संबंधित क्षेत्रों का भारत के जीडीपी में अंशदान करीब 14 प्रतिशत है, निर्यात में इसकी हिस्सेदारी करीब 11 प्रतिशत है और यह हमारी आधी आबादी की आजीविका का सहारा है। इसके अलावा, यह अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी है।

खाद्य सुरक्षा, 12वीं पंचवर्षीय योजना में औसत 8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर और वर्तमान न्यून ग्रामीण आय में वृद्धि जैसे अनेक लक्ष्यों को हासिल करने के उद्देश्य से कृनि विकास दर को उच्चतर स्तर पर ले जाना जरूरी है।

सापेक्षिक योगदान का विचार किए बगैर भी 2013-14 तक विगत पाँच वर्षों में कृनि क्षेत्र का औसत वृद्धि दर 401 प्रतिशत रहा है (2013-14 के लिए अग्रिम अनुमान के आधार पर)। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी समान वृद्धि दर की कल्पना की गई है।

वैश्विक स्तर पर भारतीय कृनि की स्थिति बेहतर हुई है। भारत विश्व में दूध और दलहन का सबसे बड़ा और चावल, गेहूँ, फलों, सब्जियों, गन्ना आदि का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्ष 2011-12 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 250 मिलियन टन से ज्यादा हुआ। चावल का उत्पादन 100 मिलियन टन और गेहूँ का उत्पादन 90 मिलियन टन से ज्यादा हुआ।

2011 के आँकड़ों के अनुसार भारत की कृनि योग्य भूमि 159.7 मिलियन हेक्टेयर (394.6 मिलियन एकड़) है जो विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा रकबा है। भारत में 82.6 मिलियन हेक्टेयर (215.6 मिलियन एकड़) में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है जो विश्व में सबसे ज्यादा है।

जीडीपी में इसके सापेक्ष हिस्से में गिरावट के बावजूद अनेक नवोन्मेशी कदम उठाए जा रहे हैं और विगत कुछ वर्षों के दौरान इस क्षेत्र का प्रदर्शन कुल मिलाकर अच्छा रहा है। तथापि खेतिहर मजदूरों की कमी एक बड़ी बाधा है जो निकट भविष्य में विकराल रूप ले सकती है।

कृनि से किसी परिवार के केवल वयस्क पुरुषों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी रोजगार मिलता है। स्त्रियों प्रमुख अनाजों और मोटे अनाजों की पैदावार, खेत तैयार करने, बीजों के चुनाव और बिचड़ों के उत्पादन, बुवाई, खाद पटाई, खर-पतवार निकालने, रोपनी, दौनी, ओसौनी और फसल कटाई में व्यापक तौर पर काम करती है।

समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए कृषि में तीव्र, संवहनीय और विविधतापूर्ण वृद्धि देश की मुख्य प्राथमिकता बनती है। कृषि में घटती श्रमशक्ति के माहौल में पैदावार या उत्पादकता बढ़ाना वृद्धि का मुख्य उपाय है जिसकी गति तेज करने की जरूरत है। विकसित और अन्य विकासशील देशों के खेतों से अनाज की अपेक्षित सर्वश्रेष्ठ पैदावार की तुलना में भारत में अनाज की पैदावार अभी भी महज 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच है। उन्नत बीजों के विभिन्न प्रकार, व्यापक विस्तारित सेवाओं और खेती का मशीनीकरण, ये तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनके लिए हस्तक्षेप और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

कृषि संबंधित श्रमिक संख्या : एक विहंगावलोकन

रोजगार के आँकड़े नैशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) से प्राप्त होते हैं जो रोजगार और बेरोजगारी के चक्र के आधार पर होते हैं। प्रयुक्त आँकड़ें 55वें चक्र (1999-2000), 61वें चक्र (2004-05), 66वें चक्र (2009-10) और 68वें चक्र (2011-12) से संबंधित हैं।

आँकड़ों से पता चलता है कि 2004-05 से भारत में समग्र रोजगार वृद्धि कमजोर चली आ रही है। 2004-05 के बाद से श्रमिक संख्या से जुड़ने वाले लोगों की संख्या औसतन महज 2 मिलियन थी जबकि इसकी तुलना में 1999-2000 और 2004-05 के बीच श्रमिक संख्या में हर साल लगभग 12 मिलियन लोग जुड़ते थे।

तथापि, 2004-05 के बाद से गैर-कृषि रोजगार से हर साल दरअसल लगभग 6 मिलियन लोग जुड़ते रहे थे क्योंकि उसके बाद से कृषि में संलग्न श्रमिकों की वृद्ध संख्या में गिरावट होने लगी जो लगातार जारी है। 2004-05 और 2011-12 के बीच कृषि में श्रमिक संख्या में लगभग 30.57 मिलियन तक की गिरावट आई, हालाँकि कुल श्रमिक संख्या में बढ़ोतरी हुई। यह पहली ऐसी अवधि थी जब खेती में वृद्ध संख्या में गिरावट दर्ज की गई।

ऐसा देखा गया है कि समय के साथ जैसे-जैसे आर्थिक प्रगति विकास की दिशा में बढ़ती है, वैसे-वैसे श्रमिकबल में अर्थतंत्र के प्राथमिक क्षेत्र से बाहर होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इस विश्वव्यापी अनुभवजन्य तथ्य के अनुरूप भारत में भी कृषि में संलग्न लोगों की संख्या में 2011-12 के 49 प्रतिशत से 1999-2000 के 60 प्रतिशत तक लगातार गिरावट आती गई है।

आम तौर पर अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के साथ-साथ अतिरिक्त खेतिहर मजदूरों का कम उत्पादकता वाले कृषि क्षेत्र से विनिर्माण और सेवाओं जैसे अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्रों में और इस तरह ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों एवं कम मजदूरी से अधिक मजदूरी वाले क्षेत्रों में गमन होने लगता है। अर्थव्यवस्था वृद्धि की गति में तेजी के साथ इस गमन की गति भी बढ़ती है जिससे

गैरकृनि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। गोल्डमैन सैश (2014) के आकलन के अनुसार श्रमिकों की उत्पादकता कृनि क्षेत्र की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में 4 गुणा और सेवा क्षेत्र में 6 गुणा ज्यादा होती है। उच्चतर उत्पादकता का अर्थ है उच्चतर मजदूरी। इसलिए, कृनि छोड़कर जाना स्वाभाविक है। बुनियादी क्षेत्रों में प्रौद्योगिक उन्नति से अनेक मामलों में कम श्रमिक और उच्चतर पूँजी निवेश का माहौल बनता है और इस तरह के स्थानांतरण का यह भी एक कारण है।

भारत में भी श्रमिक गतिशीलता में यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। लेकिन इसका असर केवल कुल रोजगार में कृनि की घटती हिस्सेदारी तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे कृनि क्षेत्र के रोजगार में लगे लोगों की कुल संख्या में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। दो कालखण्डों, 2004-05 और 2011-12 की तुलना से पता चलता है कि देश में कुल कामगारों की संख्या में जहाँ लगभग 10 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है वहीं कृनि में लगे श्रमिकों की संख्या में 30.57 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई है। इस प्रक्रिया में उसी अवधि के दौरान कुल श्रमिकों की तुलना में कृनि क्षेत्र का हिस्सा 56.7 प्रतिशत से घटकर 48.8 प्रतिशत पर आ गया है (प्रमुख और आनुशांगिक गतिविधियों के विचार से)। इससे न केवल यह पता चलता है कि कृनि से जुड़ने वाले श्रमिकों की संख्या कम हो रही है बल्कि अन्य क्षेत्रों की ओर सकल पलायन की स्थिति भी स्प-ट होती है।

वर्ष 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में 181.5 मिलियन की वृद्धि हुई जिसमें आधी वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में थी। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृनि मुख्य आधार है, इसलिए इससे तो यही लगता है कृनि के लिए पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए। इसके सिवा, भारतीय कृनि क्षेत्र में काफी हद तक बेरोजगारी व्याप्त है। यानी, अगर कृनि में श्रमिकों की संख्या कुछ कम हो भी जाए तो उत्पादन और पैदावार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों से माना जा सकता है कि कृनि में श्रमिक उपलब्धता की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यही आम धारणा रही है।

दूसरी ओर खासकर अनाज के पैदावार में विगत कई व-रों में बढ़ोतरी होती रही है। कृनि मंत्रालय के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार 1999-2004 के बीच अनाज की पैदावार की चक्रित वार्षिक दर (सीएजीआर) 0.1 प्रतिशत थी लेकिन इसमें 2004-2009 के बीच 20.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तर्क दिया जाता है कि अगर कृनि श्रमिकों की कमी होती तो पैदावार में बढ़ोतरी संभव नहीं होती।

तथापि, तथ्य यह है कि कृनि से काफी व्यापक और तीव्र पलायन हुआ है। इसका असर भी दिखाई देने लगा है क्योंकि कृनि क्षेत्र में सकल श्रम माँग कम करने के लिए फिलहाल श्रमिकों की कमी की भरपाई के पर्याप्त उपाय नहीं हो रहे हैं। नतीजतन, भारत के अनेक राज्यों के प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिकों की भारी कमी और खेतिहर मजदूरी में उछाल देखा जा रहा है जिससे किसानों के मुनाफे पर बुरा असर हो रहा है।

कृषि श्रमिक की उपलब्धता का राज्यवार और फसलवार प्रभाव यह कमी सभी बड़े राज्यों में समान कमियों के सकल प्रभाव के कारण है। इस कमी में केवल पाँच राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार और राजस्थान का योगदान करीब 79 प्रतिशत है जबकि बाकी राज्यों का 21 प्रतिशत।

राज्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक आदि राज्यों में हालाँकि कमी का पैमाना बड़ा नहीं है तथापि इसमें इन राज्यों में 2004-05 में मौजूद कृषि श्रमिकबल का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 2004-05 और 2011-12 के बीच इन सभी राज्यों में कृषि श्रमिकबल का एक बड़ा हिस्सा कृषि से बाहर हो गया है।

समग्र फसलों के लिए श्रम-प्रधानता

हालाँकि श्रमिकों की कमी से कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है, तथापि यह प्रभाव कतिपय ऐसे फसलों के मामले में ज्यादा गंभीर होता है जिनके लिए प्रति इकाई खेती में ज्यादा श्रम घंटे की आवश्यकता होती है और जो देश में व्यापक पैमाने पर उगाई जाती है। इन दो घटकों को मिलाकर देखने से पता चलता है कि धान, गेहूँ, कपास, गन्ना और मूँगफली जैसी फसलें श्रमिक अल्पता से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं।

सभी राज्यों के लिए पाँच प्रमुख फसलों का विस्तार और व्यापकता का विश्लेषण किया गया है।

- आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इन पाँच प्रमुख फसलों का रकबा सबसे ज्यादा है जिनमें सभी मामलों में धान का हिस्सा सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में कपास का रकबा भी अधिक है जबकि आंध्र प्रदेश में मूँगफली और कपास दोनों का।
- बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल का स्थान दूसरी श्रेणी में है। इन राज्यों में से पंजाब में गेहूँ का रकबा ज्यादा है जबकि गुजरात में कपास और मूँगफली का।

इन राज्यों में श्रमिक की कमी से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है और इनकी खेती में श्रम-प्रधानता कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

अनेक नई रिपोर्टों और लोक साक्ष्यों से विभिन्न राज्यों में इन प्रमुख फसलों में कुछ पर श्रमिक अल्पता के प्रभाव का पता चलता है। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में, जहाँ 2004-05 और 2011-12 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5 प्रतिशत कृषि श्रमबल का अन्य क्षेत्रों में पलायन हुआ, कथित तौर पर चावल की खेती में उल्लेखनीय श्रमिक अल्पता देखी गई। इस राज्य में

लगभग 4.5 मिलियन हेक्टेयर में चावल की और लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर से अधिक में कपास एवं मूँगफली की खेती होती है। खेतिहर मजदूरों की कमी के कारण किसानों ने चावल की सघन खेती और मशीनीकरण का सहारा लिया है। निम्नलिखित समाचार से इसका पता चलता है।

पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश में श्रमिक की कमी से चावल की पैदावार प्रभावित

पश्चिम गोदावरी जिले में 0.25 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती होती है जो उद्यानकृति संबंधी ताड़, आम, गन्ना, तम्बाकू और मिर्ची जैसी कतिपय अन्य नगदी फसलों के साथ जिले की प्रमुख फसल है। इस जिले में श्रमिकों की कमी की समस्या रही है जिसके समाधान के लिए प्रशासन द्वारा श्रमिकों की जरूरत कम करने के उद्देश्य से मशीनीकरण को बढ़ावा दिया गया।

जिला प्रशासन ने जिले के अंदर मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष योजना के तहत रा-ट्रीय कृति एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से सहयोग लेकर अनुदान के सहारे किसानों को पावर टिलर, कम्बाइंड हार्वेस्टर, ट्रांसप्लान्टर और अन्य उपकरणों का वितरण किया। इन मशीनों के प्रयोग से श्रमिकों की आवश्यकता में महत्वपूर्ण कमी आने और खेतिहर मजदूरों की कमी से परेशान किसानों को जरूरी सहयोग मिलने की उम्मीद है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने 2013-14 के बजट में राज्य में खेती में मशीनीकरण के लिए 2,500 करोड़ रुपये का आबंटन किया था।

इसी प्रकार के प्रभाव अन्य श्रम-प्रधान फसलों के संदर्भ में भी देखे गए हैं। गुजरात का ही उदाहरण लें, जहाँ वर्ग 2011 में गन्ने की कटाई के लिए श्रमिकों की कमी के कारण किसानों को अपनी पैदावार न-ट कर देनी पड़ी थी।

गुजरात में गन्ना कटाई पर श्रमिक अल्पता का प्रभाव

गुजरात के सूरत जिले में कटाई के लिए श्रमिकों की कमी के कारण किसानों द्वारा करीब 0.14 मिलियन हेक्टेयर में खड़ी गन्ने की फसल न-ट कर दी गई। गन्ने की कटाई के लिए विशेष कुशलता ही आवश्यकता होती है। परंपरागत तौर पर पड़ोसी महारा-ट्र के धुलिया और जलगाँव क्षेत्रों से दक्षिण और मध्य गुजरात में हर साल प्रवास करने वाले खेतिहर मजदूरों द्वारा यह काम किया जाता रहा है। ऐसे प्रवासी मजदूरों की कमी के कारण अनेक किसानों ने या तो ट्रैक्टरों का सहारा लिया या फसल को जला दिया ताकि खड़ी फसल को सड़ने से रोका जा सके और नई फसल की बुवाई के लिए खेत खाली किया जा सके। परिणामस्वरूप किसानों और कारखानों दोनों ही को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

